राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 695वी बैठक दिनांक 09.12.2021 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 695वी बैठक दिनांक 09.12.2021 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

क्र.	प्रकरण क्र.	श्रेणी	सेक एवं सिया मीटिंग
1.	**8740/2021**	7(i)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
2.	**8739/2021**	8(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
3.	**8754/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
4.	**8751/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
5.	**8753/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
6.	**8747/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
7.	**8748/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
8.	**8756/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
9.	**8758/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
10.	**8146/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
11.	**8032/2020**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
12.	**7336/2020**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
13.	**8441/2021**	1(a)	525th SEAC meeting dated 10-11-2021
14.	**8745/2021**	1(a)	526th SEAC meeting dated 11-11-2021
15.	**8757/2021**	1(a)	526th SEAC meeting dated 11-11-2021
16.	**8759/2021**	1(a)	526th SEAC meeting dated 11-11-2021
17.	**8742/2021**	1(a)	526th SEAC meeting dated 11-11-2021
18.	**8746/2021**	1(a)	526th SEAC meeting dated 11-11-2021
19.	**8741/2021**	1(a)	526th SEAC meeting dated 11-11-2021
20.	**8778/2021**	1(a)	EC Transfer
21.	**2223/2014**	1(a)	EC Transfer
22.	**8783/2021**	1(a)	EC Transfer
23.	**8782/2021**	1(a)	EC Transfer
24.	**6549/2019**	1(a)	EC Transfer
25.	**646/2011**	1(a)	EC Transfer

1. **Case No. 8740/2021:Prior Environment Clearance Construction & development of Sanitary / Scientific Landfill at Trenching Ground, Indore-Bhopal Bypass Road, Dist. Dewas (MP) Sanitary Landfill Capacity for 5 years: 26,000 m3 Land Area 2911 m2 by M/s Municipal Corporation, Near S.P.Office, A.B.Road, Dist. Dewas, MP,**

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

Email – commdewas@ mpurban.gov.in, Mobile – 7024112316 M/s. Env. Consultant: M/s. ENVISOLVE LLP, Indore. (Proposal No. SIA/MP/MIS/68254/2021)

1. The project is proposed for Construction & development of Sanitary / Scientific Landfill at Trenching Ground, Bhopal Bypass Road, Dist. Dewas (MP). The proposed project relates to the Integrated Solid Waste Management Facility. The project area is 2,911 m2.
2. The proposed project involves constructions of new Integrated Municipal Solid Waste processing and disposal facility for Solid Waste Management.
3. The project is a construction CMSWMF falls under Category 7(i) of Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF) (As per EIA notification dated 14th September 2006 and amended to the date) and involves environmental clearance.
4. Kheon Wild sanctuary is >50 KMs away from the site & Ralamandal is 33 KMs.
5. Project Detail:

S. No.	Information	Details
1	Project name	Proposed Integrated Solid Waste Management Facility Project near Trenching Ground Bypass AB Road Dewas, Madhya Pradesh
2	Area	2911 m2
3	Name of the Project proponent	Municipal Corporation Dewas
4	Project Site Elevation	Minimum Elevation : 565 m Maximum Elevation : 581 m
5	Location of Site	
	Villages/ Town/city	Dewas
	District	Dewas
	State /Union Territory	Madhya Pradesh
6	Water Requirement and its source	10 m3/day Source: Nagar Nigam Dewas
7	Power Supply and its source	150 kW Source: State Electricity Board for back up a 125 DG Set.
8	Project Cost	1,42,08,426 INR

परियोजना का प्रस्तुतीकरण पर्यावरण सलाहकार श्री शुभम दुबे एवं श्री प्रदीप चंदन द्वारा परियोजना प्रस्तावक के पक्ष में एसईएसी की 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में किया गया। प्रस्तुतीकरण उपरांत परियोजना का अवलोकन कर एसईएसी समिति द्वारा प्रकरण में टी.ओ.आर. जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसा अनुसार एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त के साथ टी.ओ. आर. प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

a. **Global warming potential and carbon foot print of the project activities should be studied and discussed in details in EIA report.**

2. **Case No 8739/2021 Prior Environment Clearance for Construction of New Commercial Building Project "Royal Park" at Village & Tehsil - Rau, Dist. Indore (MP) Total Plot Area - 7219.260 sqm, Total Proposed Built-up Area - 28849.71 sqm by M/s Monarch Developers, Kharsa No. 288/1, Rau, Dist. Indore, MP. Env. Consultant: M/s. ENVISOLVE LLP, Indore. (Online proposal No. 233165/2021)**

1. This is case of Prior Environment Clearance for Construction of New Commercial Building Project "Royal Park" at Khasra No. 288/1/1, 288/1/3, 288/1/4, 288/1/5, 288/1/6, 289/1/1 Village & Tehsil - Rau, Dist. Indore (MP).Total Plot Area - 7219.260 sqm, Total Proposed Built-up Area - 28849.71 sq.m. The project includes No. of Floors (Ground floor shop, First floor, Second floor, third floor shop) Total no. of Shops -83 Nos, Multiplex-03 Nos, Hotel Rooms- 28 No's, Multipurpose hall-01 No.etc.
2. The project area lies between Latitude 22°39'8.31"N Longitude 75°49'18.94"E
3. As per the T & CP Indore (vide letter dtd 19.06.2020) the plot area of the project is 0.746 ha. The total built up area proposed by PP is 28849.71 sq.m. The project comes under 8 (a) category (B) of schedule of EIA Notification, 2006 because total construction is between 20,000 sq mt. & 1,50,000 sq mt. and plot area is less than 50 ha.
4. PP has also obtained building permission from Municipal Corporation, Indore vide letter dtd. 11.05.2021
5. The case was discussed in SEAC meeting 525th dtd.10.11.21 and is recommended for grant of prior EC subject to following special conditions:-
   i. Regarding land documents PP has submitted copy of registration dtd 03.03.2020 As per the land documents the landownership is the name of Lakhwani Motal company through Dr. Ramesh Nikhara, Mohini Nikhara, Siddarth Nikhara and developer is Monarach Developers through Shri Naresh Lala, Pradeep Bhatia and Shri Nitin Lala.
   ii. The total water requirement will be 184 KLD whereas the fresh water requirement will be 88 KLD.The source of water supply is Municipal water. PP has obtained NOC (12.10.21) from Municipal Council Rau, Indore for water supply.
   iii. The total waste water generation will be 161 KLD. PP has proposed STP capacity of 170 with MBBR technology. The available treated water is 136 KLD, out of which 96 KLD shall be recycled & 40 KLD will be disposed in municipal sewer line for which PP has submitted Municipal Council Rau, Indore letter dtd. 12.10.2021.
   iv. Approximately 1560 kg/day Municipal Solid waste shall be generated. This consist all types of wastes (as Organic waste 936 Kg/day and non- organic waste 468 Kg/day), Inert waste 156 Kg/day, E- waste 696.24 Kg/Annum, The generated biodegradable and non biodegradable waste will be collected separately. The non-recyclable and non-biodegradable waste, sludge from STP and Biodegradable waste will be deposited at a landfill site through Municipal Corporation Indore. PP

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

has submitted (12.10.2021) to Municipal Council Rau, Indore for disposal of solid waste.

It is noted that there are 10 no. of existing rooms with built up area 927 sq.ft. PP has proposed that all the constructed rooms will be demolished at the time of construction and the demolished material will also be sold to authorized dealers.

v. The source of air & noise pollution of the project site normally occurs emission from vehicular traffic, Harmful dispersion of emissions from DG set, Odor from STP & Garbage. For control of air pollution PP has proposed as follows:-
   a. Green belt to be provided with specific species.
   b. Provision of adequate parking space for the residents.
   c. Better traffic management in the complex by means of Signages
   d. Provision of Stack as per CPCB guidelines.
   e. Regular pest control to mitigate the mosquito breeding and other disease causing bacteria.

vi. The maximum height of the building is 24 m. PP has proposed front MOS/ Rear MOS 14m/7.5m, Width of Internal Road 7.50m and width of approach road 60m. For vehicles, adequate space for smooth movement and parking shall be provided at the proposed site to avoid any congestion and idling state emissions.
   - Proposed project will provide ample parking as per norms in the stilts and open.
   - The internal zone within the plots will be paved and pedestrian friendly design.
   - Separate entries and exits for smooth movement of traffic through adequate traffic signage.
   - Plantation shall be provided at roadsides and open spaces with the specific
   - species to attenuate dust and cyclonic winds.
   - The ambient air quality shall be monitored as per prevalent norms to ensure that the activities at the site are not polluting the ambient environment.
   - The entire site will not be simultaneously under heavy construction, with different sections of the site generating SPM in a progressive manner. Thus, as a worst- case scenario, it is conservatively assumed that during the heavy construction period, one third of the area will be actively emitting PM

vii. Storm water drainage system will be provided for the site to avoid water runoff on to the surrounding properties and roads. PP has submitted roof top rain water harvesting system for ground water recharging and has proposed 03 nos. of recharging pits.

viii. The total power requirement will be 1175 Kw which will be met by Madhya Pradesh Paschim Kshetra Vidyut Vitran Company Ltd out of this 25 KW power produced by solar panels which is about 2.12 % of total power requirement. DG set of 50 KVA in 08 no and 75 KVA in 05. shall be installed, used for power back-up in common area of the sites. For control of energy PP has proposed as follows:

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

- Use of energy efficient lighting fixtures viz. LED, T5 which give more light output for the same watts consumed and therefore require less nos. of fixtures in Common areas
- Equipment efficiency standard power factor will be maintained between 0.95 and unity for major equipment like Lift, STP etc. This will reduce electrical power distribution losses in the installation.
- Motion Sensor in staircases.
- Use of VFD drives in lifts.
- Provision of Solar Hot water system.
- Recommending the benefits of adopting BEE 5 star rated electrical appliances to the customers to increase energy savings.

ix. PP has proposed basement an area of 10943.12 sq.m for parking 312 ECS.

x. PP has proposed to provide External Wet riser system, Internal fire hydrants strategically located to cover maximum area, Fire pump, Sprinkler pump, Jockey pump, Sprinklers system, Two-way communication system, External yard hydrants, Portable fire extinguishers & Fire Alarm system. etc. as per NBC 2005. PP has obtained fire fighting NOC dtd 08.06.21 from Municipal Corporation Indore.

xi. PP has proposed to plant 600 trees in the area of 717 m^2 (10% of total plot area).No tree cutting is proposed for this project.

xii. For this project PP has proposed Rs. 58.00 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) as follows:

S.No.	Particulars	Total Amount	1st Year	2nd Year	3rd Year
1.	Adoption of animals for their food & medical expenses at Indore Zoo.	INR 23,00,000	INR 3,00,000	INR 10,00,000	INR 10,00,000
2.	Developing provision for solar lighting at Indore Zoo.	INR 15,00,000	INR 5,00,000	INR 5,00,000	INR 5,00,000
3.	Development of high density plantation in consultation with NGO's working in same field at Rau, Indore.	INR 20,00,000	INR 5,00,000	INR 5,00,000	INR 10,00,000
TOTAL		INR 58,00,000	INR 13,00,000	INR 20,00,000	INR 25,00,000

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया :–

i. एसईएसी द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा उपरांत बिन्दु क्र. VII-I पर अधिरोपित शर्त ***"PP has proposed to plant 600 trees in the area of 717 m2 (10% of total plot area) However, 01 tree /sq. meter of 717 m^2 left for plantation shall be planted. Thus minimum 717 trees shall be planted for greenbelt development. Existed peripheral trees shall not be up-rooted"***. परियोजना प्रस्तावक इस शर्त का अनुपालन किस प्रकार करेंगे कृपया स्पष्ट करें।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

ii. **Google image** से प्रतीत हो रहा है कि प्रस्तावित परियोजना स्थल राउ औद्योगिक क्षेत्र के काफी नजदीक है जो कि सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त परियोजना को विकसित करना किस तरह उचित होगा कृपया स्पष्ट करें।

3. प्रकरण क्र. 8754/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती साधना सॉखला पत्नि श्री महेश सॉखला, निवासी ग्राम पूंजापुरा, तहसील बागली, जिला देवास (म.प्र.)–455227 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.47 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 284/6, 284/13, ग्राम पूंजापुरा, तहसील बागली, जिला देवास की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 1516 दिनांक 03.08.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) देवास के एकल प्रमाण–पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत पुंजापुरा का प्रस्ताव दिनांक 15.03.2012 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) देवास के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 1516 दिनांक 03.08.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत हैं, जिसका रकबा 0.800 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) देवास के पत्र क्र. 15988–89 दिनांक 05.10.2018 के अनुसार आवेदक श्रीमती साधना सॉखला के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 284/6, 284/13 शासकीय है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 525वीं बैठक दिनांक 10.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VIII. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

XI. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1900 पौधे जैसे सीसम, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, करोंदा, जंगल जलेवी,

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiii. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xiv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम पुंजपुरा के शासकीय स्कूल एवं ग्राम एरिया में 02 सोलर लाईट लगाई जावें।
- ग्राम पुंजपुरा के शासकीय प्राईमरी स्कूल बिल्डिंग में रंग रोगन कार्य एवं खेल मैदान को समतल किया जावे।
- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती साधना सॉखला पत्नि श्री महेश सॉखला, निवासी ग्राम पूंजापुरा, तहसील बागली, जिला देवास (म.प्र.)–455227 को पत्थर खदान, एरिया 1.47 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 284/6, 284/13, ग्राम पूंजापुरा, तहसील बागली, जिला देवास की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला देवास के पत्र क्रं. 15988–89 दिनांक 05.10.2018 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04.10.2028 तक वैध रहेगी।

4. **प्रकरण क्र. 8751/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शम्भवी एसोसियेट, प्रो. श्री संजय नगायच, निवासी–झरकुआ, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.)–488441 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 3.004 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 13,038 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 445 ग्राम झरकुआ, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल पन्ना के पत्र क्र. 5020 दिनांक 31.07.2017 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – तहसीलदार अमानगंज, जिला पन्ना के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत झरकुआँ का प्रस्ताव दिनांक 26.04.2017 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना के पत्र क्र. 1073 दिनांक 24.08.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं हैं।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पन्ना के पत्र क्र. 102 दिनांक 31.08.2018 के अनुसार आवेदक मेसर्स शम्भवी एसोसियेट, प्रो. श्री संजय नगायच के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 445, 452 शासकीय है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 525वीं बैठक दिनांक 10.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VIII. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

XI. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 3000 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, महुआ, अशोक आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

XIII. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XIV. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XVI. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम झरकुंआ के शासकीय प्राईमरी स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।
- ग्राम झरकुंआ के शासकीय माध्यमिक स्कूल में सोलर लाईट लगाई जावे।
- ग्राम झरकुंआ के शासकीय स्कूल में स्पोर्ट किट, फुटवॉल, वालीवॉल प्रदान किये जावें एवं ब्लैक बोर्ड की मरम्मत की जावे।
- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

XXI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

XXII. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

XXIII. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

मेसर्स शम्भवी एसोसियेट, प्रो. श्री संजय नगायच, निवासी–झरकुआ, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना (म.प्र.)–488441 को पत्थर खदान (ओपन कास्ट सेमी–मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 3.004 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 13,038 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 445 ग्राम झरकुआ, तहसील अमानगंज, जिला पन्ना की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला पन्ना के पत्र क्रं. 102 दिनांक 31.08.2018 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.08.2028 तक वैध रहेगी।

5. प्रकरण क्र. 8753/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रो. श्री पंकज जैन आत्मज श्री धरमचंद जैन, निवासी–घंसौर, तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.)–480997 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.72 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 24,225 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 227, ग्राम बिनैकीकलॉ, तहसील घंसौर, जिला सिवनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 605 दिनांक 21.09.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत बिनेकीकलॉ का पत्र दिनांक 13.08.2021 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 605 दिनांक 21.09.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका रकबा 2.0 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी के पत्र क्र. 475 दिनांक 16.08.2021 के अनुसार आवेदक मेसर्स जैन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रो. श्री पंकज जैन के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 227 शासकीय भूमि है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की सिफारिशों के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र दिनांक 21.09.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 3.00 हेक्टेयर की एक अन्य खदान स्वीकृत होना दर्शित है यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार एक अन्य खदान और परिलक्षित है। इस प्रकार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदाने हैं। इस कारण यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदित प्रकरण बी–1 अथवा बी–2 श्रेणी का है, अतः संबंधित खनिज अधिकारी, सिवनी से 15 दिवस की अवधि में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत/संचालित खदानों की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाना निर्णित किया गया। प्रतिलिपि परियोजना प्रस्तावक को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

6. प्रकरण क्र. 8747/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री सुभाष धाकड़ आत्मज श्री नरेश धाकड़, निवासी–, वार्ड नं. 02, एम.एस. रोड़ जौरा ब्लॉक के सामने तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)–476221 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता गिट्टी 10,104 घनमीटर प्रतिवर्ष खण्डा 2694 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 3016, 3022 ग्राम परसोटा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल मुरैना के पत्र क्र. 6757 दिनांक 17.12.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – तहसीलदार परगना जौरा, जिला मुरैना के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत परसौटा का प्रस्ताव दिनांक 10.10.2019 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुरैना के पत्र क्र. 895 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका रकबा 2.0 हेक्टेयर है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुरैना के पत्र क्र. 773 दिनांक 10.06.2021 के अनुसार आवेदक श्री सुभाष धाकड़ के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 3016, 3022 शासकीय भूमि है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की सिफारिशों के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तहसीलदार परगना जौरा के पत्र क्र. 3068 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नहर, प्राकृतिक जलल स्त्रोत नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से 320 मीटर की दूरी पर नहर, एवं 275 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट होना परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त खनिज अधिकारी के पत्र क्र 895 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार श्री नरेश धाकड निवासी–145, एम.एस. रोड़ जौरा ब्लॉक के सामने, वार्ड नं. 02 तहसील जौरा, जिला मुरैना 2.00 हेक्टेयर की खदान भी स्थित है।

अतः उपरोक्त परिदृश्य के दृष्टिगत पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए प्रस्तावित खदान का विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार से तैयार करवाई जाये जिसमें कि 500 मीटर की परिधि में रहवासियों के सुझाव भी अनिवार्यतः सम्मलित किये जाये। उपरोक्त निर्णित कार्यवाही का परिपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिवस की अवधि में पूर्ण कर प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष पुनः परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाये। निर्णय की प्रति सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को भी प्रेषित की जाये।

7. **प्रकरण क्र. 8748/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री नरेश धाकड़ आत्मज श्री गिरवरलाल धाकड़, निवासी–, 145, एम.एस. रोड़ जौरा ब्लॉक के सामने, वार्ड नं. 02 तहसील जौरा, जिला मुरैना (म. प्र)–476221 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता गिट्टी 10,000 घनमीटर प्रतिवर्ष खण्डा 3037 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 2667 ग्राम परसोटा, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल मुरैना के पत्र क्र. 6756 दिनांक 17.12.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – तहसीलदार परगना जौरा, जिला मुरैना के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत परसौटा का प्रस्ताव दिनांक 10.10.2019 प्रस्तुत किया गया है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुरैना के पत्र क्र. 894 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि 01 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका रकबा 3.0 हेक्टेयर है।

5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुरैना के पत्र क्र. 774 दिनांक 10.06.2021 के अनुसार आवेदक श्री सुभाष धाकड़ के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 3016, 3022 शासकीय भूमि है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की सिफारिशों के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों तहसीलदार परगना जौरा के पत्र क्र. 3067 दिनांक 06.11.2019 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नहर, प्राकृतिक जलल स्त्रोत नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर Google Image अनुसार प्रस्तावित खदान से 290 मीटर की दूरी पर नहर, एवं 90 मीटर की दूरी पर प्राकृतिक नाला होना परिलक्षित है। इसके अतिरिक्त खनिज अधिकारी के पत्र क्र 894 दिनांक 19.07.2021 के अनुसार श्री सुभाष धाकड़ आत्मज श्री नरेश धाकड़, निवासी–, वार्ड नं. 02, एम.एस. रोड़ जौरा ब्लॉक के सामने तहसील जौरा, जिला मुरैना 3.00 हेक्टेयर की खदान भी स्थित है।

अतः उपरोक्त परिदृश्य के दृष्टिगत पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए प्रस्तावित खदान का विस्तृत पर्यावरण प्रबंधन योजना NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार से तैयार करवाई जाये जिसमें कि 500 मीटर की परिधि में रहवासियों के सुझाव भी अनिवार्यतः सम्मलित किये जाये। उपरोक्त निर्णित कार्यवाही का परिपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा 30 दिवस की अवधि में पूर्ण कर प्रकरण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष पुनः परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया जाये। निर्णय की प्रति सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को भी प्रेषित की जाये।

8. प्रकरण क्र. 8756/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री अमित कुमार जैन आत्मज श्री शोभालाल जैन, निवासी–, ग्राम सेमराखेड़ी, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 22828 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 01, ग्राम सेमराखेड़ी, तहसील देवरी, जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 695वी बैठक दिनांक 09.12.2021 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में टी.ओ.आर. जारी किये जाने हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1463 दिनांक 05.10.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के एकल प्रमाण पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत सिलारी का प्रस्ताव दिनांक 16.08.2015 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सागर के एकल प्रमाण पत्र क्र. 1463 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि 02 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका रकबा 4.70 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल के आदेश क्र. 15731–32 दिनांक 08.08.2017 के अनुसार आवेदक श्री अमित कुमार जैन के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 01 शासकीय भूमि है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ टी.ओ.आर. प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the district survey report (DSR) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan for removal of zero size Gitti/dust which accumulates in huge quantity within lease area, will be incorporated in EIA report.

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

(v) PP shall plan for proper periodical maintenance of machineries involved in stone crusher unit.

(vi) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(vii) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(viii) The certification/ study of rocks like limestone/sandstone/granite/stone etc. must be done (to be attached with the proposal) in order to decipher their being unfit for other industries like chemical, cement and flooring etc. thus may be used for making grit.

(ix) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

9. **प्रकरण क्र. 8758/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मेहता स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री सुनील बाली, पेण्डारोड़, तहसील पेण्डारोड़, जिला गौरेला, मरवाही (छ.ग.)–484887 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 24,999 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 684/1 ग्राम पमरा, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल अनूपपुर के पत्र क्र. 1487 दिनांक 06.04.2018 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – तहसीलदार जिला अनूपपुर के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत बिजौरी का प्रस्ताव दिनांक 26.01.2018 प्रस्तुत किया गया है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अनूपपुर के पत्र क्र. 1763 दिनांक 03.09.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि 02 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका कुल क्षेत्र 3.3 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) अनूपपुर के पत्र क्र. 1460 दिनांक 28.07.2021 के अनुसार आवेदक मेसर्स मेहता स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री सुनील बाली के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 684/1 शासकीय है।
7. एसईएसी समिति के कार्यवाही विवरण अनुसार आवेदित खदान से पक्की सड़क 160 मीटर एवं कच्चा रास्ता 60 मीटर दूरी पर स्थित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 525वीं बैठक दिनांक 10.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में पक्की सड़क से 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

IX. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

XII. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1800 पौधे जैसे सीसम, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, खसरा नम्बर 238/3/1 निजी भूमि, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

XIV. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XV. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XVI. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XVII. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बिजौरी में ग्रामवसियों के लिये पानी की सुविधा हेतु बोर करवाकर हैण्डपंप लगाया जावे।
- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxiii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiv. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

मेसर्स मेहता स्टोन क्रेशर, प्रो. श्री सुनील बाली, पेण्डारोड़, तहसील पेण्डारोड़, जिला गौरेला, मरवाही (छ.ग.)–484887 को पत्थर खदान (ओपन कास्ट सेमी–मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 24,999 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 684/1 ग्राम पमरा, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के पत्र क्रं. 1460 दिनांक 28.07.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27.07.2031 तक वैध रहेगी।

10. **प्रकरण क्र. 8146/2021** : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राधारानी स्टोन इण्डस्ट्रीज, पार्टनर श्री यतेन्द्र सिंह चौहान, 21 विवेक नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)–474001 द्वारा **पत्थर खदान**, एरिया 1.820 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, ग्राम चन्द्रपुरा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की **पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति** के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्र. क्य.एल.07/2019 दिनांक 21.01.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत चन्द्रपुरा का प्रस्ताव दिनांक 24.06.2019 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) ग्वालियर के एकल प्रमाण–पत्र क्र. क्य.एल.07/2019 दिनांक 21.01.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका कुल रकबा 33.784 हेक्टेयर है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ग्वालियर के पत्र क्र. क्यू6/मान्स/क्यू.एल./7/19 दिनांक 13.01.2020 के अनुसार आवेदक श्री मेसर्स राधारानी स्टोन इण्डस्ट्रीज के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 36/1 श्री अहवरन सिंह, अशोक सिंह एवं नरेश सिंह, खसरा नम्बर 36/2 भावनी सिंह, रामवरन, संजय, खसरा नम्बर 36/3 प्रीतम सिंह, कल्लो बाई, खसरा नम्बर 36/4 सुजान सिंह, राजू सिंह, खसरा नम्बर 36/5 अलबेल सिंह एवं अमर सिंह के नाम दर्ज है। शासकीय है। खनन कार्य हेतु आवेदक द्वारा सहमति प्राप्त की गई है।

7. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 05 किलो लीटर प्रतिदिन (2.16 केएलडी धूल धमन + 2.0 केएलडी हरित पट्टी विकास/वृक्षारोपण + 0.84 केएलडी पीने/घरेलू कार्य व स्वच्छता हेतु)। जल की आपूर्ति आस–पास के जल स्त्रोत एवं खनन किये गये गड्डे में संचय वर्षा जल की जावेगी।

8. **वृक्षारोपण कार्य**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल **2280** पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया, शासकीय स्कूल बाउण्ड्री इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।

9. **जनसुनवाई** – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 30.07.2021 को शासकीय विद्यालय ग्राम चन्द्रपुरा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर में माननीय अपर कलेक्टर, ग्वालियर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 525वीं बैठक दिनांक 10.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

v. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

viii. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

xi. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2280 पौधे जैसे सीसम, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, करोंदा, नीबू, सीताफल, जंगल जलेवी, कटहल, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, कटंग वांस आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiii. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xiv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम चन्द्रपुरा के शासकीय प्राथमिक स्कूल में 04 सोलर लाईट लगाई जावे एवं 20 टेवल व बेन्च प्रदान की जावें।
- ग्राम चन्द्रपुरा के मंदिर में ग्राम पंचायत के परामर्श से मरम्मत एवं पुताई का कार्य किया जावे।
- ग्राम चन्द्रपुरा की आंतरिक सड़क को चन्द्रपुरा मैन सड़क तक पक्की सड़क का निर्माण किया जावे।
- ग्राम चन्द्रपुरा की ग्राम पंचायत/स्कूल परिसर में 01 हैण्डपम्प का स्थापना की जावे।
- ग्राम चन्द्रपुरा के शासकीय स्कूल बिल्डिंग की पुताई एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।
- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉं और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

XXI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xxii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

मेसर्स राधारानी स्टोन इण्डस्ट्रीज, पार्टनर श्री यतेन्द्र सिंह चौहान, 21 विवेक नगर, जिला ग्वालियर (म.प्र.)–474001 को पत्थर खदान, एरिया 1.820 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 36/1, 36/2, 36/3, 36/4, 36/5, ग्राम चन्द्रपुरा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रं. क्यू6/मान्स/क्यू.एल./7/19 दिनांक 13.01.2020 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 12.01.2030 तक वैध रहेगी।

11. प्रकरण क्र. 8032/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती शशि पाण्डे पत्नि श्री अंजनी कुमार पाण्डे, निवासी– 270, आनंद नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.)–482005 द्वारा पत्थर एवं मुरूम खदान, एरिया 3.98 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 41,591 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम 1313 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 17, 24, 27 पार्ट, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल जबलपुर के पत्र क्र. 4474 दिनांक 09.11.2020 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 249 मी. की दूरी पर स्थित है। आवेदक द्वारा वन क्षेत्र के संबंध में कार्यालय कमिश्नर जबलपुर का कार्यवाही विवरण दिनांक 01.09.2018 प्रस्तुत किया गया है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय तहसीलदार, जबलपुर, जिला जबलपुर के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी, शैक्षणिक संस्थान एवं नाला 500 मीटर की परिधि के अंदर स्थित है एवं शेष चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/तालाब/नहर आदि 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत मंगेली का प्रस्ताव दिनांक 15.04.2018 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जबलपुर के पत्र क्र. 2041 दिनांक 08.10.2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में 19 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका कुल रकबा 32.22 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर के पत्र क्र. 3318 दिनांक 26.09.2018 के अनुसार आवेदक श्रीमती शशि पाण्डेय के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 17, 24, 27 शासकीय है।
7. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 11.9 किलो लीटर प्रतिदिन (धूल धमन + हरित पट्टी विकास/वृक्षारोपण + पीने/घरेलू कार्य व स्वच्छता हेतु) की आवश्यकता है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर व खदान गड्डे में जमा वर्षा संचय जल से की जावेगी।
8. **वृक्षारोपण कार्य**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 4800 पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
9. **जनसुनवाई** – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 31.03.2021 को ग्राम मानेगांव जिला जबलपुर के परिसर के समीप माननीय अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 525वीं बैठक दिनांक 10.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मानव बसाहट से 200 मीटर तक "नो

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

v. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

vi. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

viii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

ix. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

xi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

xii. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xiii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 4800 पौधे जैसे सीसम, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, करोंदा, नीबू, सीताफल, जंगल जलेवी, कटहल, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, कटंग वांस आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xiv. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम मानेगांव के स्कूल परिसर में सोलर पैनल स्थापित किये जावें एवं स्वच्छता, मधुमेह, रक्तचाप, गॉव में पौधरोपण, टीकाकरण तथा पशुओं की जॉच आदि से संबंधित गतिविधियों के कार्य समय–समय पर प्रस्तावित किये जावें।
- ग्राम खजूरी के शासकीय स्कूल बिल्डिंग/आंगनबाडी की पुताई एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।
- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

(एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxiii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiv. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

श्रीमती शशि पाण्डे पत्नि श्री अंजनी कुमार पाण्डे, निवासी– 270, आनंद नगर, आधारताल, जबलपुर (म.प्र.)–482005 को पत्थर एवं मुरूम खदान, एरिया 3.98 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता पत्थर 41,591 घनमीटर प्रतिवर्ष, मुरूम 1313 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 17, 24, 27 पार्ट, ग्राम मानेगांव, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पर्यावरण सलाहकार संस्था (इन सिटू इन्वारो केयर) द्वारा एक सप्ताह की अवधि में स्थल के ईआईए अध्ययन के अनुरूप वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण के आकलन संबंधित छायाचित्र अभिप्रमाणित कर एसईआईएए कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रं. 3318 दिनांक 26.09. 2018 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 25.09.2028 तक वैध रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 7336/2020 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती नम्रता तीर्थानी पत्नि श्री राजेश तीर्थानी निवासी–33, ब्राईट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.)–462001 द्वारा मुरूम खदान, एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 36,782 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 412 पार्ट, ग्राम खजूरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डल भोपाल के पत्र क्र. 5110 दिनांक 15.10.2018 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय तहसीलदार, हुजूर, जिला भोपाल के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत खजूरी रातातात का प्रस्ताव दिनांक 30.08.2019 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) भोपाल के पत्र क्र. 1539 दिनांक 06.06.2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका कुल रकबा 4.00 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भोपाल के पत्र क्र. 4070 दिनांक 05.10.2019 के अनुसार आवेदक श्रीमती नम्रता तीर्थानी के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 412 शासकीय है।
7. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8.5 किलो लीटर प्रतिदिन (धूल धमन + हरित पट्टी विकास/वृक्षारोपण + पीने/घरेलू कार्य व स्वच्छता हेतु) की आवश्यकता है। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के टैंकर व खदान गड्डे में जमा वर्षा संचय जल से की जावेगी।
8. **वृक्षारोपण कार्य**– परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल **3600** पेड़ लीज क्षेत्र के चारो ओर, पहुंच मार्ग, नो माईनिंग एरिया इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे।
9. **जनसुनवाई** – उक्त परियोजना की जनसुनवाई दिनांक 15.02.2021 को ग्राम खजूरी उत्खनिपट्टा क्षेत्र तहसील हुजूर, जिला भोपाल में माननीय अपर जिला न्यायाधीश, भोपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 525वीं बैठक दिनांक 10.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

III. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

V. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

VIII. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में लगे हुये वृक्षों को नहीं काटा जायेगा तथा उसके आस–पास के क्षेत्र (1.104 हे.) को नो माईनिंग जोन के रूप में छोड़ते हुये उस क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया जायेगा।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 3600 पौधे जैसे सीसम, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, करोंदा, नीबू, सीताफल, जंगल जलेवी, कटहल, एलोवेरा, तुलसी, अश्वगंधा, कटंग वांस आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी।

XI. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XII. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XIII. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XIV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम खजूरी में ग्राम पंचायत के सहयोग से आस–पास के गॉवो, शासकीय स्कूल एवं अन्य सामुदायिक क्षेत्रों में स्वच्छता तथा पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जावे।
- ग्राम खजूरी के शासकीय स्कूल बिल्डिंग/आंगनबाडी की पुताई एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।
- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xx. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xxi. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

श्रीमती नम्रता तीर्थानी पत्नि श्री राजेश तीर्थानी निवासी–33, ब्राईट कॉलोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल (म.प्र.)–462001 को मुरूम खदान, एरिया 3.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 36,782 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 412 पार्ट, ग्राम खजूरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल(म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पर्यावरण सलाहकार संस्था (इन सिटू इन्वारो केयर) द्वारा एक सप्ताह की अवधि में स्थल के ईआईए अध्ययन के अनुरूप वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण के आकलन संबंधित छायाचित्र अभिप्रमाणित कर एसईआईएए कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के पत्र क्रं. 4070 दिनांक 05.10.2019 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04.10.2029 तक वैध रहेगी।

13. प्रकरण क्र. 8441/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री गजराज सिंह आत्मज श्री प्रीतम सिंह, निवासी–ग्राम डमेजर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 953, ग्राम डमेजर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 525वी बैठक दिनांक 10.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल मुरैना के पत्र क्र. 522 दिनांक 24.01.2019 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – तहसीलदार कैलारस, जिला मुरैना के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत डमेजर का प्रस्ताव दिनांक 26.01.2018 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) मुरैना के पत्र क्र. 459 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं हैं।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मुरैना के पत्र क्र. 71 दिनांक 21.01.2021 के अनुसार आवेदक श्री गजराज सिंह के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 953 शासकीय है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

VIII. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

XI. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2600 पौधे जैसे सीसम, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटहल, पपीता, मुनगा, अर्जुन आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

XIII. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

XIV. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

XV. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

XVI. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

XXIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

XVII. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम डमेजर के शासकीय स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत एवं पुताई व रंग रोगन का कार्य किया जावे एवं सोलर पेनल स्थापित किया जावे।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxi. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

श्री गजराज सिंह आत्मज श्री प्रीतम सिंह, निवासी–ग्राम डमेजर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 953, ग्राम डमेजर, तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रं. 71 दिनांक 21.01.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 20.01.2031 तक वैध रहेगी।

14. प्रकरण क्र. 8745/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री ऐलम सिंह दांगी आत्मज श्री बापूसिंह दांगी, निवासी– ग्राम खाईखेड़ी, तहसील–श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.)–466651 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 10143 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 584/1/2, ग्राम खाईखेड़ा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 526वी बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 2188 दिनांक 27.08.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के एकल प्रमाण–पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत खाईखेड़ा का प्रस्ताव दिनांक 15.05.2021 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 2188 दिनांक 27.08.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका रकबा 2.0 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सीहोर के पत्र क्र. 1859 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार आवेदक श्री ऐलम सिंह दांगी के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 584/1/2 शासकीय है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की सिफारिशों के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एकल प्रमाण पत्र दिनांक 27.08.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नहर, बांध, प्राकृतिक नाला इत्यादि नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार खनन क्षेत्र के भीतर एक कच्ची सड़क परिलक्षित है एवं समीपस्थ बांध संरचना भी स्थित होना दर्शित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में पब्लिक रोड़ एवं बांध संरचना से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 8757/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज बोरवन आत्मज श्री अमरलाल बोरवन, निवासी– चारघाट, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.)–460110 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 7056 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 32, ग्राम चारघाट, तहसील आठनेर, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 526वी बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बैतूल के पत्र क्र. 1967 दिनांक 25.05.2018 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – तहसीलदार आठनेर, जिला बैतूल के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत चारघाट का प्रस्ताव दिनांक 15.05.2021 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के पत्र क्र. 620 दिनांक 15.03.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं हैं।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल के पत्र क्र. 1630–ए दिनांक 02.11.2021 के अनुसार आवेदक श्री देवराज बोरवन के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 32 हिरेश एवं शिवराम के नाम दर्ज हैं। खनन कार्य हेतु आवेदक द्वारा सहमति प्राप्त की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की सिफारिशों के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत तहसीलदार, आठनेर जिला बैतूल के पत्र दिनांक 20.07.2017 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नहर, बांध, प्राकृतिक नाला इत्यादि नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

आधार पर **Google Image** अनुसार खनन क्षेत्र से कच्ची सड़क 90 मीटर एवं बांध संरचना 50 मीटर पर होना परिलक्षित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में बांध संरचना से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

16. प्रकरणक्र 8759/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री प्रभात कुमार मेहता आत्मज श्री प्रकाश चंद मेहता, निवासी–55, वार्ड नं. 2, बडा बाजार, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.)–465669 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8085 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1/1/1/1, ग्राम बड़ोदिया जागीर, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 526वी बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल राजगढ़ के पत्र क्र. 1785 दिनांक 27.07.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – तहसीलदार परगना नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत सॅवासी का प्रस्ताव दिनांक 17.08.2021 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) राजगढ़ के पत्र क्र. 1134 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका कुल रकबा 4 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के पत्र क्र. 1034 दिनांक 26.08.2021 के अनुसार आवेदक श्री प्रभात कुमार मेहता के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 1/1/1/1 शासकीय है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

IX. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

xi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

xii. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xiii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम तीन वर्षो में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 1200 पौधे जैसे सीसम, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, कटहल, पपीता, मुनगा, अर्जुन आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiv. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम बड़ोदिया जागीर के शासकीय प्राथमिक स्कूल में क्लास रूम्स एवं छत की मरम्मत, पुताई एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

xxii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxiii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiv. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

श्री प्रभात कुमार मेहता आत्मज श्री प्रकाश चंद मेहता, निवासी–55, वार्ड नं. 2, बडा बाजार, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म.प्र.)–465669 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 8085 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1/1/1/1, ग्राम बड़ोदिया जागीर, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के पत्रक्रं 1034 दिनांक 28.08.2021 के अनुसार उक्त खदान को 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 27.08. 2031 तक वैध रहेगी।

17. प्रकरणक्र 8742/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स राजलक्ष्मी देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि., संचालक श्री अरविन्द धाकड़, एसडीएक्स 26–1, ओल्ड मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड़ भोपाल (म.प्र.)–462023 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 49,970 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 187/1/1/19, ग्राम हॉसलवे, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 526वी बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 1351 दिनांक 14.10.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत जीरापुर का प्रस्ताव दिनांक 17.08.2021 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) राजगढ़ के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 1351 दिनांक 14.10.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं हैं।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ के पत्र क्र. 1281 दिनांक 01.10.2021 के अनुसार आवेदक मेसर्स राजलक्ष्मी देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि., संचालक श्री अरविन्द धाकड के नाम पत्थर उत्खनन हेतु अस्थाई अनुज्ञा की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 187/1/1/9 शासकीय है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

i. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले सीपीसीबी एवं माननीय एनजीटी द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में पक्की सड़क से 200 मीटर एवं कच्चा सड़क 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में छोड़कर साइट का सीमांकन किया जायेगा। माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में (नॉन ब्लास्टिंग के लिए दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए 200 मीटर की दूरी तय है)। उक्त सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

V. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

VI. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

IX. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

XII. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम वर्ष में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 4800 पौधे जैसे सीसम, नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, करोंदा, नीबू, सीताफल, जंगल जलेवी, कटहल आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

जोन, एप्रोच रोड, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiv. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvii. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

xviii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

xix. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

xx. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

xxi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार प्रथम वर्ष निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम हॉसवले के शासकीय प्राथमिक स्कूल में बोर वैल कराकर हैंडपम्प लगाया जावे एवं उसके चारो ओर दीवार व रीचार्ज पिट बनाई जावे।
- ग्राम हॉसवले के शासकीय प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग की पुताई एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।
- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xxii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

xxiii. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

xxiv. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

मेसर्स राजलक्ष्मी देवबिल्ड इंडिया प्रा.लि., संचालक श्री अरविन्द धाकड़, एसडीएक्स 26–1, ओल्ड मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड़ भोपाल (म.प्र.)–462023 को पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 49,970 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 187/1/1/19, ग्राम हॉसलवे, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के पत्र क्रं. 1281 दिनांक 01.10.2021 के अनुसार उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा (30.09.2023 तक) की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30.09.2023 तक वैध रहेगी।

18. प्रकरण क्र. 8746/2021 : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गौर रोड़ तारकोट प्रा.लि., प्लाट नं. 2283, शारदा चौक, नागपुर रोड़, जिला जबलपुर (म.प्र.)–481880 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 31/1 ग्राम झॉकीमल, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 526वी बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल डिण्डौरी के पत्र क्र. 5509 दिनांक 15.09.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – तहसीलदार जिला डिण्डौरी के पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत झॉकीमल का प्रस्ताव दिनांक 16.08.2021 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) डिण्डौरी के पत्र क्र. 404 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि 02 अन्य खदान स्वीकृत हैं जिसका कुल क्षेत्र 3.0 हेक्टेयर है।
5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) डिण्डौरी के पत्र क्र. 358 दिनांक 16.09.2021 के अनुसार आवेदक मेसर्स गौर रोड़ तारकोट प्रा.लि. के नाम पत्थर उत्खनन हेतु अस्थाई अनुज्ञा की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।
6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 31/1 श्रीमती चंदा बाई, सतेन्द्र कुमार एवं सीमा धुर्वे के नाम पर दर्ज है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एसईएसी समिति के कार्यवाही विवरण अनुसार आवेदित खदान से पक्की सड़क 200 मीटर दूरी पर स्थित है एवं माईनिंग लीज के अंदर 01 पेड़ स्थित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की अनुशंसाओं के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नलिखित शर्तों के साथ पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।

II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Waves) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा

III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल (4 मीटर तक जीआई – शीट) की स्थापना की जाये।

IV. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

v. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

vi. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।

viii. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

ix. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।

x. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।

xi. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

xii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रथम वर्ष में कम से कम तीन वर्ष पुराने, उपयुक्त प्रजातियों के 2400 पौधे जैसे नीम, पीपल, बरगद, आंवला, आम, करंज, महुआ, पारस, साजा, अचार आदि का रोपण बैरियर जोन के साथ, गैर खनन क्षेत्र और बफर जोन, एप्रोच रोड, खसरा नम्बर 31/1 निजी भूमि, मध्यप्रदेश सरकार की "अंकुर योजना" के तहत प्राथमिक विद्यालय, तालाब, नहर आदि स्थान पर उपयुक्त प्राधिकारी के परामर्श से किया जायेगा तथा वन अधिकारियों के परामर्श से स्वदेशी औषधीय पौधों के वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जाएगी.

xiii. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।

xiv. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।

xv. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।

xvi. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि माईनिंग लीज के अंदर मौजूद पेड़ों को नहीं काटा जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।

XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार प्रथम वर्ष में निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :–

- ग्राम झॉकीमल के शासकीय प्राईमरी स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत एवं रंगरोगन का कार्य किया जावे।
- ग्राम झॉकीमल के शासकीय स्कूल में बच्चों के लिये झूले एवं स्लाइडस लगाये जावें एवं स्कूल के चारों ओर 7फिट उँची चेनलिंग फेसिंग लगाई जावे।
- सौर लालटेन एवं कूड़ादान का समीप के ग्रामों में वितरण किया जावे।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियॉ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

XXI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।

XXII. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

xxiii. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करेगा।

मेसर्स गौर रोड़ तारकोट प्रा.लि., प्लाट नं. 2283, शारदा चौक, नागपुर रोड़, जिला जबलपुर (म.प्र.)–481880 को पत्थर खदान (ओपन कास्ट सेमी–मैकेनाइज्ड विधि), एरिया 1.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 31/1 ग्राम झॉकीमल, तहसील डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने की अनुमति दी जाती है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डौरी के पत्र क्रं. 358 दिनांक 16.09.2021 के अनुसार उक्त खदान को अस्थाई अनुज्ञा (10.02.2023) की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है। अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10.02.2023 तक वैध है।

19. प्रकरण क्र. 8741/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री मोहित माहेश्वरी आत्मज श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी, निवासी नारायण बाग के पास, छावनी, जिला आगर–मालवा (म.प्र.)–465441 द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 16,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 478 पार्ट, ग्राम जामली, तहसील बड़ौद, जिला आगर–मालवा की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) द्वारा 526वी बैठक दिनांक 11.11.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा व्यक्त की गई है।

प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण की नस्ती में प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई :–

1. **वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) आगर–मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 865 दिनांक 09.08.2021 अनुसार आवेदित क्षेत्र से नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/जैवविविधता क्षेत्र/पारिस्थितकीय संवेदी जोन 10 कि.मी. की परिधि के बाहर है एवं वन क्षेत्र की दूरी 250 मी. की परिधि से बहार स्थित है।
2. **महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) आगर–मालवा के एकल प्रमाण–पत्रानुसार आवेदित क्षेत्र से निकटतम आबादी/शैक्षणिक संस्थान/चिकित्सालय/पुरातत्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/नदी/ तालाब/नहर आदि की दूरी 500 मीटर की परिधि के बहार स्थित है।
3. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में अनापत्ति बावत् ग्राम पंचायत जामली का प्रस्ताव दिनांक 08.03.2021 प्रस्तुत किया गया है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित स्वीकृत/संचालित अन्य खदानों की जानकारी** – कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) आगर–मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 865 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत नहीं हैं।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

5. **लीज स्वीकृति संबंधी विवरण** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) आगर–मालवा के पत्र क्र. 727 दिनांक 08.07.2021 के अनुसार आवेदक श्री मोहित माहेश्वरी के नाम पत्थर उत्खनन हेतु 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति जारी की गई है।

6. **भू–स्वामित्व** – भूमि खसरा नम्बर 478 शासकीय है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा और एसईएसी 526वीं बैठक दिनांक 11.11.2021 की सिफारिशों के अवलोकन के बाद प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) आगर–मालवा के एकल प्रमाण–पत्र क्र. 865 दिनांक 09.08.2021 के अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, नहर, बांध, प्राकृतिक नाला, पब्लिक सड़क इत्यादि नहीं होना बताया गया है, यद्यपि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अक्षांश देशांश के आधार पर **Google Image** अनुसार खनन क्षेत्र से पक्की सड़क 65 मीटर एवं प्राकृतिक नाला 87 मीटर पर होना परिलक्षित है। चूँकि माननीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 में पारित आदेश एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देशों दिनांक 09.07.2020 के परिपालन में मानव बसाहट/संवेदनशील क्षेत्र/राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग/पब्लिक रोड़/पुल/बांध/नदी/नहर इत्यादि में प्रस्तावित खनन क्षेत्र से नॉन ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 100 मीटर और ब्लास्टिंग खनन योजना के लिए 200 मीटर की प्रतिबंधित दूरी निर्धारित है।

अतः प्रकरण में उपरोक्तानुसार आदेश एवं निर्देशों के परिपालन में बांध संरचना से प्रतिबंधित दूरी के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि खनन योग्य क्षेत्र की न्यूनतम उपलब्धता के दृष्टिगत पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण SEAC को प्रेषित किया जाये एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

20. प्रकरण क्र. 8778/2021 : श्री इंदर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी ग्राम तुलतारिया, तहसील एवं जिला राजगढ़ द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2850 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 44/1, ग्राम डेहरी बामन, तहसील – राजगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री इंदर सिंह, ग्राम–देहरीबामन तहसील–राजगढ़, जिला– राजगढ़, मप्र – 465661 के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान एरिया 2.0 हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 2850 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 44/1, ग्राम डेहरी बामन, तहसील – राजगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की श्री इंदर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी ग्राम तुलतरिया, तहसील और जिला राजगढ़ (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 381/डीईआईएए/16 दिनांक 30.05.2016 के माध्यम से श्री इंदर सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी ग्राम तुलतारिया, तहसील और जिला राजगढ़ (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

(3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. स्वर्गीय श्री इंदर सिंह, ग्राम–देहरीबामन, तहसील–राजगढ़, जिला– राजगढ़, एमपी–465661 के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।

II. श्री अर्जुन सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री इंदर सिंह, ग्राम–देहरीबामन, तहसील–राजगढ़, जिला–राजगढ़, एमपी–465661 द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति निहित समस्त शर्तो का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 381/डीईआईएए/16 दिनांक 30.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) राजगढ़ द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 413/खनिज/2017 दिनांक 09.04.2021 (वैधता 17.12. 2028 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र. 2223/2014 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पुष्पलता तिवारी निवासी श्री ओम प्रकाश तिवारी निवासी राम मनोहर लोहिया वार्ड, आदर्श कालोनी, जिला– कटनी द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.80 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 17100 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 746 पार्ट, ग्राम वण्डा, तहसील – कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स रामसुजन गुप्ता एंड संस, प्रो. श्री रामशुजन गुप्ता निवासी– सिद्धार्थ नगर, जिला सतना (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान एरिया 1.80 हेक्टेयर उत्पादन क्षमता 17100 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 746 पार्ट, ग्राम वण्डा, तहसील – कटनी, जिला कटनी (म.प्र.) की श्रीमती पुष्पलता तिवारी निवासी श्री ओम प्रकाश तिवारी निवासी राम मनोहर लोहिया वार्ड, आदर्श कालोनी, जिला– कटनी (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2818/एसईआईएए/15 दिनांक 30.06.2015 के माध्यम से श्रीमती पुष्पलता तिवारी निवासी श्री ओम प्रकाश तिवारी निवासी राम मनोहर लोहिया वार्ड, आदर्श कालोनी, जिला– कटनी (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पुष्पलता तिवारी निवासी श्री ओम प्रकाश तिवारी निवासी राम मनोहर लोहिया वार्ड, आदर्श कालोनी, जिला– कटनी द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रामसुजन गुप्ता एंड संस, प्रो. श्री रामशुजन गुप्ता निवासी– सिद्धार्थ नगर, जिला सतना के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स रामसुजन गुप्ता एंड संस, प्रो. श्री रामशुजन गुप्ता निवासी– सिद्धार्थ नगर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 2818/एसईआईएए/15 दिनांक 30.06.2015 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) कटनी द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 3318/अ./खनिज/उ.प./हस्ता./2020 दिनांक 10.11.2020 (वैधता 16.02.2024 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

22. प्रकरण क्र. 8783/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुब्रता तिवारी पत्नि श्री सुनील दत्त तिवारी, निवासी–बिलोंगी, तहसील सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5496 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 3003, ग्राम बंजारी, तहसील – सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स अवंतिका ग्रुप, पार्टनर श्री जीवेन्द्र सिंह, ग्राम बंजारी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान एरिया 2.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 5496 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 3003, ग्राम बंजारी, तहसील – सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) की श्रीमती सुब्रता तिवारी पत्नि श्री सुनील दत्त तिवारी, निवासी–बिलोंगी, तहसील सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 137/डीईआईएए/16 दिनांक 06.10.2016 के माध्यम से श्रीमती सुब्रता तिवारी पत्नि श्री सुनील दत्त तिवारी, निवासी–बिलोंगी, तहसील सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुब्रता तिवारी पत्नि श्री सुनील दत्त तिवारी, निवासी–बिलोंगी, तहसील सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अवंतिका ग्रुप, पार्टनर श्री जीवेन्द्र सिंह, ग्राम बंजारी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स अवंतिका ग्रुप, पार्टनर श्री जीवेन्द्र सिंह, ग्राम बंजारी, तहसील सरई, जिला सिंगरौली (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 137/डीईआईएए/16 दिनांक 06.10.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 6621/खनिज/क्यू.एल./हस्ता./2017 दिनांक 14.12.2017 (वैधता 10.07.2021 तक) की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिंगरौली द्वारा उक्त खदान के लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 2206/खनिज/क्यू.एल./हस्ता./2021 दिनांक 30.06.2021 (वैधता 10.07.2031 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

23. प्रकरण क्र. 8782/2021 : परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित जैन आत्मज श्री एस.के. जैन, निवासी– 707, कमानिया सर्राफा वार्ड, जिला– जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, एरिया 1.63 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 84700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 63, ग्राम छीतापल, तहसील – मझौली, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण श्री अभिषेक जैन आत्मज श्री दिलीप जैन, निवासी– 575, दीक्षितपुरा, गुरू तिराहा, जिला जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में मुरूम खदान एरिया 1.63 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 84700 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 63, ग्राम छीतापल, तहसील – मझौली, जिला जबलपुर (म.प्र.) की श्री रोहित जैन आत्मज श्री एस.के. जैन, निवासी– 707, कमानिया सर्राफा वार्ड, जिला– जबलपुर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 25/डीईआईएए/16 दिनांक 02.06.2016 के माध्यम से श्री रोहित जैन आत्मज श्री एस.के. जैन, निवासी– 707, कमानिया सर्राफा वार्ड, जिला– जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री रोहित जैन आत्मज श्री एस.के. जैन, निवासी– 707, कमानिया सर्राफा वार्ड, जिला– जबलपुर (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक जैन आत्मज श्री दिलीप जैन, निवासी– 575, दीक्षितपुरा, गुरू तिराहा, जिला जबलपुर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

II. श्री अभिषेक जैन आत्मज श्री दिलीप जैन, निवासी– 575, दीक्षितपुरा, गुरू तिराहा, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 25/डीईआईएए/16 दिनांक 02.06.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 1360/खनिज/क्यू.एल./2017 दिनांक 27.07.2017 (वैधता 03.07.2018 तक) की प्रति।

VII. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर द्वारा उक्त खदान का लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 826/खनिज/65/क्यू.एल./2021 दिनांक 29.06.2019 (वैधता 03.07.2020 तक) एवं पुनः लीज नवीनीकरण पत्र क्र. 2208/खनिज/क्यू.एल./2021 दिनांक 03.11.2020 (वैधता 03.07.2022 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

24. प्रकरण क्र 6549/2019 : परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन अग्रवाल आत्मज श्री श्याम किशोर अग्रवाल, निवासी–महल रोड़, जिला– छतरपुर (मप्र) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 1.424 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 75978 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1084, ग्राम बदौरा कलॉ, तहसील – गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स शिवोहम ग्रेनाईट, मकान नं. 15, शुभ भारत कम्पाउण्ड महल रोड़, जिला छतरपुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में मुरूम खदान एरिया 1.424 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 75978 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नम्बर 1084, ग्राम बदौरा कलॉ, तहसील – गौरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) की श्री नितिन अग्रवाल आत्मज श्री श्याम किशोर अग्रवाल, निवासी–महल रोड़, जिला– छतरपुर (म.प्र.) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) उक्त प्रकरण में पूर्व पर्यावरण स्वीकृति एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 3830/एसईआईएए/20 दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से श्री नितिन अग्रवाल आत्मज श्री श्याम किशोर अग्रवाल, निवासी–महल रोड़, जिला– छतरपुर (म.प्र.) के नाम पर जारी की गई है।

(3) यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री नितिन अग्रवाल आत्मज श्री श्याम किशोर अग्रवाल, निवासी–महल रोड़, जिला– छतरपुर (म.प्र.) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शिवोहम ग्रेनाईट, मकान नं. 15, शुभ भारत काउपाण्ड महल रोड़, जिला छतरपुर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स शिवोहम ग्रेनाईट, मकान नं. 15, शुभ भारत काउपाण्ड महल रोड़, जिला छतरपुर (म. प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. एसईआईएए द्वारा पत्र क्र. 3830/एसईआईएए/16 दिनांक 19.10.2020 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) छतरपुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 952/खनिज/2020 दिनांक 11.06.2020 (वैधता 06.04. 2026 तक) की प्रति।

(4) ईआईए अधिसूचना 2006 के पैरा –11 में पर्यावरण मंजूरी (ईसी) को हस्तांतरित करने का प्रावधान है।

Para-11:- *A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases*

(5) ईआईए अधिसूचना 2006 (संशोधन दिनांक 13.07.2021) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8ए की उप–धारा (6) के अनुसार प्रदान करती है कि :

"Notwithstanding anything contained in sub-sections (2), (3) and sub-section (4), the period of lease granted before the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2015 (10 of 2015), where mineral is used for other than captive purpose, shall be extended and be deemed to have been extended up to a period ending on the 31st March, 2020 with effect from the date of expiry of the period of renewal last made or till the completion of renewal period, if any, or a period of fifty years from the date of grant of such lease, whichever is later, subject to the condition that all the terms and conditions of the lease have been complied with"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के बाद निर्णय लिया गया कि ईआईए अधिसूचना 2006 में निहित प्रावधानों के परिपालन में प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार एवं एसईआईएए में ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी सहित प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

25. **प्रकरण क्र 646/2011** : परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रिज्म सीमेन्ट लि., 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 द्वारा बंदरखा चूना पत्थर खदान, एरिया 40.236 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्राम –बंदरखा, तहसील – रामपुर बघेलान, जिला –सतना (म.प्र.) **की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति** का हस्तांतरण मेसर्स प्रिज्म जॉनसन लि. 305, लक्ष्मी निवास अपार्टमेन्ट, आमेरपेट, हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)–500016 के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

यह कि प्राधिकरण द्वारा 631वी बैठक दिनांक 11.08.2020 में प्रकरण को रखा गया जिसमें प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

i. *PP had applied in Form-7 for Prior Environmental Clearance of 40.236 ha. for production capacity of 0.24 million TPA cum/year at Village - Bhandarkha, Tehsil - Rampur, Baghelan, Dist. – Satna - M.P. by M/s Prism Cement Ltd. 305, Laxmi Niwas Apartments, Ammerpet, Hyderabad (AP) - 500016.*

ii. *The Prior Environmental Clearance letter was issued by **SEIAA, M.P. vide L.No. 3080/SEIAA/13 dated 20/08/2013** in the name of "Mr. Manoj Chhabra, MD, M/s Prism Cement Ltd., Rajdeep, Rewa Road, Satna, Dist. – Satna – MP".*

iii. *PP has requested vide letter no. nil dtd. 10.06.2020 to make amendment in the Prior EC letter by changing the name of PP of the mining project namely M/s Prism Johnson Limited, 305, Laxmi Niwas Apartments, Ammerpet, Hyderabad (AP) – 500016 in place of M/s Prism Cement Ltd., Rajdeep, Rewa Road, Satna, Dist. – Satna – MP.*

iv. *In support of his request the PP has submitted the following documents:*

   a) ***No objection letter of Shri Manoj Kumar Kashyap S/o Shri Kirparam Kashyap (Authorized signatory of Prism Cement Ltd.)** on behalf of M/s Prism Cement Ltd. for transfer of prior EC in the name M/s Prism Johnson Limited, 305, Laxmi Niwas Apartments, Ammerpet, Hyderabad (AP) – 500016*

   b) ***Notarised affidavit of Shri Manoj Kumar Kashyap S/o Shri Kirparam Kashyap** on behalf of M/s Prism Johnson Ltd. mentioning that no legal action/ credible action has been initiated against the mine till date and commitment to comply all the standard and specific conditions stipulated in the prior EC issued.*

   c) ***Copy of Prior EC** issued by SEIAA vide letter No. **3080/SEIAA/13 dated 20/08/2013.***

   d) *Name change certificate issued by **Govt. of India, Ministry of Corporate afffairs** to Prism Johnson Ltd. vide letter **dated 18.04.2018 (CIN: L26942TG1992PLC014033)**.*

v. *It is noted that in EIA Notification 2006 as per **Para-11 Transferability of Environmental Clearance (EC)** there is a provision of transferring the EC.*

> *Para-11:- A prior environmental clearance granted for a specific project or activity to an applicant may be transferred during its validity to another legal person entitled to undertake the project or activity on application by the transferor, or by the transferee with a written "no objection" by the transferor, to, and by the regulatory authority concerned, on the same terms and conditions under which the prior environmental clearance was initially granted, and for the same validity period. No reference to the Expert Appraisal Committee or State Level Expert Appraisal Committee concerned is necessary in such cases.*

In context of above, it seems that PP has not submitted adequate documents i.e. Approved Mining Plan to make the change in the name of PP as per EIA Notification 2006 (Para-11). As per above observation, it was decided to ask to PP to submit the Approved Mining Plan in the name of new PP.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.08.2020 के निर्णयानुसार भारतीय खान ब्यूरो से अनुमोदित माईनिंग प्लान (वर्ष 2020–21 से वर्ष 2024–25) दिनांक 18.11.2021 को प्रस्तुत

(श्रीमन् शुक्ला) (अनिल कुमार शर्मा) (अरूण कुमार भट्ट)

किया गया है एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण में नियमित रूप से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का अनुपालन प्रतिवेदन जमा किया जा रहा है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकरण पर विस्तृत चर्चा एवं अवलोकन के उपरांत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि, परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गई सत्यापित अनुपालन प्रतिवेदन की प्रति कार्यालय में प्राप्त होने के उपरांत पर्यावरण स्वीकृति को हस्तांतरण किया जायेगा। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाय

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई ।

(श्रीमन् शुक्ला) सदस्य सचिव	(अनिल कुमार शर्मा) सदस्य	(अरूण कुमार भट्ट) अध्यक्ष